राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 45 / 2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 00676

1. जयदेव पुत्र चतरूराम जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

................वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र हेमराज उम्र 69 साल
2. महावीर पुत्र हेमराज उम्र 62 साल
3. सुरजभान पुत्र हेमराज उम्र 65 साल
4. जयनारायण पुत्र हेमराज उम्र 60 साल
5. महिपाल पुत्र हेमराज उम्र 58 साल
6. लाडो देवी पत्नी हेमराज उम्र 92 साल जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
7. निहाल सिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 63 साल
8. दयाचन्द पुत्र प्रहलाद उम्र 58 साल
9. मन्दरूप पुत्र प्रहलाद उम्र 55 साल
10. रामौतार पुत्र प्रहलाद उम्र 48 साल
11. कमलकौर पुत्री प्रहलाद उम्र 65 साल
12. भानी देवी पुत्री प्रहलाद उम्र 64 साल
13. सन्तरा पुत्री प्रहलाद उम्र 59 साल
14. भतेरी पुत्री प्रहलाद उम्र 52 साल जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
15. सुखराम पुत्र गुलाब उम्र 69 साल
16. दलीप पुत्र गुलाब उम्र 74 साल जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
17. वेदकौर पत्नी जयलाल उम्र 72 साल
18. राजकश पुत्र जयलाल उम्र 50 साल
19. रवि कुमार पुत्र जयलाल उम्र 47 साल
20. समशेर पुत्र जयलाल उम्र 40 साल जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
22. आर.जी.बी. शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा बाबत— खाता विभाजन

—:निर्णयः— दिनांकः—

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम काजला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 22 के ख0 न0 86 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0 न0 87 रकबा 0.08 है0, ख0 न0 320/86 रकबा 0.67 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0, में वादी 1/5 हिस्से का खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 14 का व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 का दर्ज रिकार्ड है। तथा मौके पर वादी तथा प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज है।
2. यह कि वादी वाद वर्णित भूमि में अपने 1/5 हिस्से खाता अलहेदा कायम करवाना चाहता था जिसके लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 को आज से एक माह पूर्व उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। इसलिए वादी को यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान जी में पेश करना आवश्यक हुआ है।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 21 भूमिधारक है तथा प्रतिवादी संख्या 22 के यहाय उक्त भूमि रहन है इसलिए प्रतिवादी संख्या 21 व 22 दावे के आवश्यक पक्षकारान होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः—

(क). यह कि वाके ग्राम काजला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 22 के ख0 न0 86 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0 न0 87 रकबा 0.08 है0, ख0 न0 320/86 रकबा 0.67 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0, में वादी 1/5 हिस्से का खाता अलहेदा कायम किया जाकर लगान भी अलहदा कायम किया जावे तथा उसी अनुसार वादी का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर उसके खाते का लगान भी अलहेदा कायम किये जाने की कृपा करे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.07.2022 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.08.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 08.01.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2202 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम काजला स्थित भूमि हाल खाता संख्या 10 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके कि वाके ग्राम काजला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 22 के ख0 न0 86 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0 न0 87 रकबा 0.08 है0, ख0 न0 320/86 रकबा 0.67 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0, में वादी का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 10.08.2022 को दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 08.01.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2202 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 5/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 45/2019 **जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00676**

जयदेव बनाम धर्मपाल आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके कि वाके ग्राम काजला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 22 के ख0 न0 86 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0 न0 87 रकबा 0.08 है0, ख0 न0 320/86 रकबा 0.67 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0, में वादी का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 10.08.2022 को दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 08.01.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2202 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/9/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)